<u>न्यायालय - सेशन न्यायाधीश, झालावाड़, जिला झालावाड (राज.)</u>

पीठासीन न्यायाधीश – **आलोक सुरोलिया**, R.J.S. (D.J.Cadre)

सेशन प्रकरण संख्या - **56/2022**

<u>C.I.S. No. - 56/2022</u>

राजस्थान राज्य। **-अभियोगी**

बनाम

राज कुमार मेरोठा उर्फ राजू पुत्र कवंरलाल, उम्र 37 साल, निवासी मुण्डेरी, पुलिस थाना मण्डावर, जिला झालावाड (राज.) **-अभियुक्त**

अपराध अंतर्गत **धारा 376(2)(N) भा.द.सं.**

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **106/2021**

महिला पुलिस थाना झालावाड

<u>उपस्थितः-</u>

1.श्री नरेन्द्र तोमर, लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

2.श्री ओंकारेश्वरम शर्मा, अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

निर्णय **दिनांक 11.03.2026**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अभियोक्त्री/परिवादिया ने पुलिस अधीक्षक झालावाड़ के समक्ष दिनांक 09.06.2021 को एक परिवाद प्रदर्श पी.4 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह गरीब महिला है। आज से करीब 3 साल पहले मुलजिम राजकुमार पुत्र कंवरलाल, निवासी मुंडेरी, पुलिस थाना मण्डावर जिला झालावाड से उसके जेठ बलराम के जरिए परिचय व सम्पर्क हुआ। उसके पश्चात मुलजिम उससे अक्सर मीठी-मीठी बाते करने लगा। वह भोली-भाली होने के कारण मुलजिम की मंशा नहीं समझ सकी। आज से करीब 2 वर्ष पूर्व मुलजिम उसके घर धनवास आया और उसको व उसके नाबालिग पुत्र को धोखेबाजी व जालसाजी से बहला-फुसलाकर सावंरिया जी के दर्शन करने की कहकर उसके घर से अपने साथ ले गया। मुलजिम उसको व उसके पुत्र को सांवरिया जी नहीं ले जाकर जोर-

जबर्दस्ती अहमदाबाद गुजरात ले गया और अहमदाबाद में एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। वह मुलजिम की मंशा समझती उससे पहले ही मुलजिम ने उसको धमकाना शुरू कर दिया और जान से मारने की धमकी देना लगा और जब उसने अपने घर जाने की कहा तो मुलजिम ने उसको जान से मारने की धमकी देकर धमकाया और उसके पश्चात मुलजिम ने उसकी इच्छा के विरूद्ध जोर-जबर्दस्ती उससे यौन शारीरिक संबंध बनाये। वह उस समय असहाय अकेली महिला थी। मुलजिम ने उसका इसी बात का फायदा उठाकर लगातार 3 महीने तक शारीरिक यौन शोषण किया। इसी दौरान उसका गर्भ ठहर गया तो मुलजिम उसे अपने घर मुंरी ले आया और मुलजिम, कवंरलाल, कन्याबाई व धन्नीबाई ने झालावाड़ समर्पण हॉस्पिटल की नर्स सुल्ताना के घर ले जाकर जोर-जबर्दस्ती उसके गर्भ की सफाई करवा दी। उसके बाद मुलजिम उसको अपने घर मंण्डेरी ले गया और निरन्तर शारीरिक यौन शोषण करता रहा। वह अकेली व असहाय महिला होने के कारण व लोक-लाज के कारण चुप रही और मुलजिम ने उसकी इसी बात का फायदा उठाकर लगातार उसका प्रार्थीया के इच्छा के विरूद्ध शारीरिक यौन शोषण किया। मुलजिम ने जोर-जबर्दस्ती उसके पहने हुये जेवरात जिसमें एक तौला सोने के टॉप्स, आधा तोला सोने का मंगलसूत्र, डेढ पाव चांदी की पायजेब, आधा किलो चांदी की सठ, डेढ पांव चांदी के हाथ के व उसके नगद 15,000/- रू धमकाकर छीन लिये। उसने एक दिन मौका पाकर मुलजिम के चुंगल से छूटकर आज से करीब 4 माह पूर्व अपने घर आ गई। उसने मुलजिम के डर के कारण व लोक-लाज के कारण उस समय रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई परन्तु मुलजिम उसको लगातार एक बार फिर शारीरिक यौन संबंध बनाये रखने के लिये धमका रहा है। मुलजिम ने आज से करीब 1 महीने पहले उसको जोर-जबर्दस्ती व बहला फुसलाकर जंगल में ले जाकर उसका उसकी इच्छा के विरूद्ध यौन शोषण किया। उसके बाद मुलजिम ने उसको जान से मारने की धमकी दी और यह बात बताने के लिये मना किया। उसने मुलजिम के भय के कारण व लोक-लाज के डर के कारण एक बार फिर रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, परन्तु मुलजिम लगातार उसका पीछाकर निरन्तर शारीरिक यौन शोषण करने पर आमादा है। इत्यादि। उक्त परिवाद के आधार पर प्रकण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्ध **धारा 376(2)(N) भा.द.सं.** के विचारण हेतु आरोप-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर यह प्रकरण अपराध अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होने से प्रकरण विधिवत सुनवाई एवं निस्

तारण हेतु सेशन सुपुर्द किया गया जो इस न्यायालय को अंतिरत होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। जिसका निस्तारण किया जा रहा है।

2. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त के विरुद्ध **धारा 376(2)(N) भा.द.सं.** का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप सुन-समझकर अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. **अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य**

क्र.सं.	**साक्षी क्रम**	**साक्षी का नाम**
01.	पी.डब्ल्यू.01	दुलीचंद
02.	पी.डब्ल्यू.02	राजेश कुमार
03.	पी.डब्ल्यू.03	अभियोक्त्री
04.	पी.डब्ल्यू.04	पप्पूलाल
05.	पी.डब्ल्यू.05	केसरसिहं
06.	पी.डब्ल्यू.06	देवीलाल
07.	पी.डब्ल्यू.07	डा.योगेश कुमार
08.	पी.डब्ल्यू.08	पुष्पेन्द्र बंशीवाल
09.	पी.डब्ल्यू.09	प्रतापलाल
10.	पी.डब्ल्यू.10	डा. मधु माथुर
11.	पी.डब्ल्यू.11	सहदेवसिहं
12.	पी.डब्ल्यू.12	विजयसिहं
13.	पी.डब्ल्यू.13	कनीजबाई

4. **अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य**

क्र.सं.	**दस्तावेज**	**दस्तावेज का विवरण**
01.	प्रदर्श पी.01	नक्शामौका नीमबारी गेट
02.	प्रदर्श पी.02.	नक्शामौका भवानीमंडी रोड
03.	प्रदर्श पी.03.	नक्शामौका खेत कुआं
04.	प्रदर्श पी.04.	परिवाद
05.	प्रदर्श पी.05.	बलात्संग बाबत मेडिकल रिपोर्ट अभियोक्त्री

06.	प्रदर्श पी.06.	अभियोक्त्री के बयान धारा 164 दं.प्र.सं.
07.	प्रदर्श पी.07.	पुलिस बयान केसरसिहं
08.	प्रदर्श पी.08.	अभियुक्त की पुरूषत्व बाबत मेडिकल रिपोर्ट
09.	प्रदर्श पी.09.	नोटिस धारा 91 दं.प्र.सं. अभियोक्त्री
10.	प्रदर्श पी.10.	नोटिस धारा 91 दं.प्र.सं. अभियोक्त्री
11.	प्रदर्श पी.11.	अग्रेषण-पत्र थानाधिकारी
12.	प्रदर्श पी.12.	अग्रेषण पत्र एस.पी.
13.	प्रदर्श पी.13.	एफ.एस.एल. प्राप्ति रसीद
14.	प्रदर्श पी.14.	पुलिस बयान प्रताप
15.	प्रदर्श पी.15.	प्रथम सूचना रिपोर्ट

5. साक्ष्य अभियोजन के समापन पर अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 351 भा.ना.सु.सं. (313 दं.प्र.सं.) किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्षीगण के कथनों को गलत होना बतलाते हुए गवाहान द्वारा झूंठ बोलना व स्वयं का निर्दोष होकर अभियोक्त्री का पुलिसवालों के मकान में किराए से रहना व उनके कहने पर अभियोक्त्री द्वारा उसको झूंठा फंसाए जाने का कथन किया। प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य-सफाई पेश नहीं करने पर साक्ष्य-सफाई बन्द की गई। अभियुक्त की ओर से दौराने अभियोजन साक्ष्य पुलिस बयान अभियोक्त्री प्रदर्श डी.01, इकरानामा अभियोक्त्री प्रदर्श डी.02 व 03 प्रदर्शित कराए गए।

6. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा दौराने बहस कथन किया गया है कि हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हैं। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया गया।

7. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दौराने बहस यह तर्क दिया गया है कि पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध से जोड़ने वाली कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। अभियुक्त द्वारा कोई आपराधिक घटना कारित नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष की कहानी प्रथम दृष्टया ही झूंठी है। यह झूंठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। गवाहान के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। अभियुक्त के विरूद्ध जो आरोप लगाए गए है तथा उनके संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है उसके मूल्यांकन एवं निष्कर्ष से

आरोपित आरोप किसी भी प्रकार से साबित नहीं होते है। अतः अभियुक्त को सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दौराने बहस अन्तिम दिए गए तर्कों एवं उन पर न्यायालय का विश्लेषण एवं विवेचन निर्णय की अग्रिम पंक्तियों में किया जाएगा।

8. उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

9. हस्तगत प्रकरण के निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न हुआ हैः-

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 09.06.2021 से पूर्व किसी समय परिवादिया/अभियोक्त्री को बहला फुसला कर सांवरिया जी ले जाने के बहाने अपने साथ अहमदाबाद ले जाकर जबरन उसके साथ लगातार अनैक बार शारीरिक सम्बंध बनाकर व उसका देह शोषण कर बलात्कार किया?

(2) यदि हाँ तो अभियुक्त किस दण्ड का भागी है?

10. समस्त तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक मनन करने के उपरांत तथा अभिलेख पर उपलब्ध प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के गहन अवलोकन, विश्लेषण एवं विवेचन से यह प्रकट होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी कहानी के समर्थन में **कुल 13 गवाहान** के बयान लेखबद्ध करवाए गए हैं।

11. **पी.ड.3 अभियोक्त्री/पीडिता** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से लगभग नौ-दस साल पहले उसकी सोनू भील से शादी हुई थी, जिससे उसके एक लड़का व एक लड़की है। उसकी उसके पति के साथ अनबन के चलते वह धनवास स्थित उसके पीहर में अपने बच्चों के साथ रहती थी। आज से तीन साल पहले उसके बेटे की तबीयत खराब होने पर वह उसे दिखाने डॉक्टर नागौरी के पास शहर झालावाड़ में दिखाने आयी थी, जहां पर उसे हाजिर अदालत मुलजिम राजकुमार मिला, जिसने उससे कहा कि उसके साथ सांवरिया दर्शन करने चलो। उसनें मना किया तो राजकुमार ने उसे जोर देकर कहा कि तीन दिन में लाकर वापस छोड़ दूंगा। उसने उसे धमकी दी कि अगर वह उसके साथ नही गयी तो वह उसके बच्चे को मार देगा, जिस पर वह उसके साथ सांवरिया जी के लिए बस में रवाना हुई लेकिन वह उसे सांवरिया जी नही ले जाकर अहमदाबाद लेकर गया। अहमदाबाद में जाने के बाद राजकुमार ने किराये पर कमरा लिया तथा उसे वहां ले

गया। वह राजकुमार के साथ वहां किराये के मकान में तीन महीने रही। किराये के मकान में उससे राजकुमार ने कहा कि वह बाहर काम करने जाएगा। उसनें मना किया कि उसे झालावाड़ पहुंचा दो तो उसने धमकी दी कि वह उसे बेच देगा, उसके बच्चे को मार देगा। राजकुमार ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। राजकुमार ने पूरे तीन महीने तक उसके साथ जबरन संबंध बनाए तथा वह मना करती थी तब वह उसके साथ मारपीट करता था। उसके बाद राजकुमार उसे उसके गांव मुण्डेरी ले आया, जहां ढाई महीने तक राजकुमार ने उसे खेत पर रखा था। वहां पर भी राजकुमार ने उसके साथ मारपीट कर उसकी इच्छा के विरूद्ध शारीरिक संबंध बनाए। वह राजकुमार से गर्भवती भी हुई थी। फिर उसे रात के आठ बजे सुल्ताना मेडम के पास झालरापाटन ले गया वहां उसका गर्भपात करवा दिया। गर्भपात करवाने के बाद राजकुमार उसे अपने घर ले गया। इसी बीच उसके घरवालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। फिर पुलिस उसे राजकुमार के यहां से लेकर गयी। उसी समय राजकुमार ने उसे धमकी दी कि उसके विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज मत करवाना और उसके विरूद्ध बयान मत देना। उसनें परिवाद दिया था, जो प्रदर्श पी 4 है। पुलिस ने उसका डॉक्टरी मुआयना करवाया था, जो प्रदर्श पी 5 है। पुलिस ने उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए थे, जो प्रदर्श पी 6 है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 1, पी 2 व पी 3 बनाये थे। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किया है कि आज उसका पति उसके साथ नही आया है। वह उसके पति के साथ तीन साल से नही रह रही है। यह सही है कि उसके दोनों बच्चे भी उसके साथ नही रहकर उसके पति के साथ रहते है। वह झालरापाटन अकेली रहती है। वह राजकुमार को पहले से जानती थी। राजकुमार से उसकी मोबाइल पर बातचीत भी होती थी। उसनें पुलिस को बता दिया था कि राजकुमार ने उसे यह धमकी दी थी कि या तो वह उसके साथ चले नही तो वह उसके बच्चे को मार देगा। पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 में क्यों नही लिखा, उसे ध्यान नही है। बयान अंतर्गत धारा 164 प्रदर्श पी 6 का ए से बी भाग "मेरी जेठानी......बातें करने लग गया" सुनकर कहा कि उसनें नही लिखाया। अहमदाबाद वाली बस में वह नागौरी डॉक्टर के पास वाले चौराहे से बैठे थे। फिर कहा कि वे भानपुरा (एम.पी.) जाकर अहमदाबाद वाली बस में बैठे थे। झालावाड़ से भानपुरा वे रोड़वेज बस से गए थे। बस में पच्चीस-तीस सवारियां व कंडक्टर भी था। उसनें वहां पर कंडक्टर या किसी सवारी से यह नही कहा कि राजकुमार उसे जबरन ले जा रहा है। भानपुरा बस स्टेण्ड पर वे शाम को छः बजे उतरे थे। उसनें भानपुरा बस स्टेण्ड पर भी किसी

व्यक्ति से नही कहा कि राजकुमार उसे जबरन ले जा रहा है। उन्होंने भानपुरा बस स्टेण्ड पर आधे-एक घण्टे तक बस का इंतजार किया था। अहमदाबाद वाली बस में भी उसनें किसी सवारी या कंडक्टर से यह नही कहा कि राजकुमार उसे जबरन ले जा रहा है। उसनें अहमदाबाद बस स्टेण्ड पर भी किसी पुलिसकर्मी, किसी व्यक्ति या रोड़वेज के अधिकारियों से नही कहा कि राजकुमार उसे जबरन ले जा रहा है। राजकुमार सुबह नौ बजे फैक्ट्री पर जाने के लिए निकलता था व शाम को वापस आता था। तीन महीने तक घर का सारा काम वह ही करती थी। यह सही है कि उसके पति सोनू के साथ उसके जाने के संबंध में राजकुमार व उसके परिवार वालों ने एक लिखा-पढ़ी करवायी थी। इकरारनामा प्रदर्श डी 2 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, जो अदालत परिसर झालावाड़ में तैयार करवाया था। इकरारनामा प्रदर्श डी 3 पर पांच स्थानों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसनें अदालत परिसर में प्रदर्श डी 3 पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी वकील, नोटेरी पब्लिक या अन्य किसी से यह नही कहा था कि राजकुमार उससे जबरन हस्ताक्षर करवा रहा है। यह सही है कि प्रदर्श डी 3 पर उसकी फोटो है। यह सही है कि राजकुमार के खिलाफ एक साल बाद रिपोर्ट दर्ज करवायी थी।

12. **पी.ड.1 दुलीचंद** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि इस प्रकरण में पुलिस ने नक्शामौका मे बनाया था जो प्रदर्श-पी. 1, 2 व 3 हैं। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किया है कि यह कहना सही है कि महिला थाने में मिलने के पूर्व से वह अभियोक्त्री को नहीं जानता था। यह कहना सही है कि पुलिस ने थाने में भी हस्ताक्षर करवाए थे।

13. **पी.ड.2 राजेश कुमार** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसनें अभियोक्त्री को दिसंबर 2021 में मकान के आगे वाले भाग का एक कमरा 1000/- रूपए मासिक किराये पर दिया था, जिसमें बिजली का बिल अलग था। अभियोक्त्री के पास हाजिर अदालत मुलजिम राजकुमार आता-जाता रहता था। उसनें राजकुमार को एक बार टोका भी था, तब राजकुमार ने उसे बताया था कि अभियोक्त्री उसकी पत्नी है। अभियोक्त्री से उसनें बाद में पूछा तब अभियोक्त्री ने बताया कि उसके राजकुमार के साथ पहले संबंध थे परन्तु अब उसके साथ बिगाड़ हो गया हैं। पुलिस ने उसके मकान का नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 बनाया था। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किया है कि उसने अभियोक्त्री से उसके पति व बच्चों के बारें में पूछा था तब उसने बताया था कि उसका उसके पति के साथ बिगाड़ हो गया है और वह यहां अकेले ही रहने आयी है।

14. **पी.ड.4 पप्पूलाल** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि नक्शामौका प्रदर्श पी 2 व 3 पर उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किया है कि यह कहना सही है कि झालावाड़ से भवानीमण्डी की ओर जाने वाले रास्ते पर वाहन आते-जाते रहते हैं। राजकुमार के खेत का नक्शा बनाने से पहले पटवारी, तहसीलदार, पंचायत सचिव या गांव के किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया।

15. **पी.ड.5 केसरसिहं** पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने कथन किया है कि उसने राजकुमार के साथ किसी औरत को गांव में नहीं देखा। राजकुमार के पिता किसी औरत को छोड़ने मिनी सचिवालय आये थे, तब वह उनके साथ आया था, उस औरत का नाम उसे याद नहीं है। पुलिस बयान प्रदर्श पी. 7 पुलिस को नहीं दिया।

16. **पी.ड.6 देवीलाल** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि राजकुमार दो-तीन साल पहले किसी लड़की को उनके गांव में लाया था। उसे यह पता नहीं कि वह लड़की कितने समय तक राजकुमार के साथ गांव मे रही थी। दो तीन महीने बाद उस लड़की को राजकुमार के पिता के साथ वह तथा केसर सिंह मिनी सचिवालय में छोड़ कर चले गये थे। इसके अलावा उसे कुछ याद नहीं है। उस लड़की का नाम उसे आज याद नहीं है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किया है कि लड़की को उसकी मर्जी से ही मिनी सचिवालय छोड़ कर गये थे। लड़की को जब छोडा तब वह राजी खुशी दिख रही थी।

17. **पी.ड.7 डा.योगेश कुमार** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 0809.2021 को वह मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर एस.आर.जी. चिकित्सालय झालावड़ में पदस्थापित था। उसने अभियुक्त राजकुमार का चिकित्सकीय परीक्षण उसकी यौन संभोग करने की क्षमता के संबंध में किया था। अभियुक्त राजकुमार के शरीर पर कोई बाह्य चोट नहीं पाई गई थीं। उसके लिंग की सतह पर उभरी हुई नसें पाई गई थी, डिस्कोरटल रिफ्लेक्स भी पाया गया था। चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 है। उसके चिकित्सकीय परीक्षण से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी कि राजकुमार मेरोठा उर्फ राजू उस समय यौन संभोग करने में अक्षम हो। उसने अभियुक्त का खून का सैंपल एफटीए कार्ड पर डीएनए प्रोफाइल पर लेकर सील चिट कर पुलिस को दिया थे।

18. **पी.ड.8 पुष्पेन्द्र बंशीवाल** अनुसंधान अधिकारी, ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 15.06.2021 को महिला थाना झालावाड़ में थानाधिकारी के पद पद कार्यरत था। दिनांक 17.06.2021 को पीड़िता का बलात्संग

संबधी परीक्षण करवा कर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की थी। दिनांक 23.06.2021 को पीड़िता का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाकर शामिल पत्रावली किया था। निम्बारी गेट में पीड़िता के किराये की दुकान का नक्शामौका प्रदर्श पी 1 है। दो घटनास्थल भवानीमंडी रोड पर डाक बंगले से थोड़ा आगे तथा ग्राम मौजा मूंडेरी आरोपी राजकुमार के खेत का नक्शामौका बनाया गया था, जो क्रमशः प्रदर्श पी 2 व प्रदर्श पी 3 है। दौराने अनुसंधान गवाहान केसर सिंह, अभियोक्त्री, राजेश कुमार, प्रतापलाल, देवीलाल, पप्पूलाल, लाखन सिंह, पूरीलाल के बयान लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त का पुरूषत्व संबंधी परीक्षण करवाकर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की थी। पीड़िता को धारा 91 का नोटिस देकर वक्त घटना पहने हुए कपड़े प्रस्तुत करने हेतु दिया था, जो प्रदर्श पी 9 है। नोटिस का जवाब अभियोक्त्री ने दिया था व अपने पास घटना के समय पहने कपड़े नहीं होना बताया। पीड़िता को उसने अहमदाबाद चलकर घटनास्थल का निरीक्षण करवाने के लिए नोटिस दिया था, जो प्रदर्श पी 10 है। जिसका जवाब पीड़िता ने यह दिया था कि उसे अहमदाबाद में वह स्थान पता नहीं है, जहां उसके साथ बलात्कार हुआ था। जप्तशुदा माल पैकेट एक्स, वाई, जेड, एक्स, जेड को जर्ये अग्रेषण पत्र मार्फत पुलिस अधीक्षक कार्यालय एफ.एस.एल. जयपुर में भिजवाया था, जो प्रदर्श पी 11 है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 12 है। पीड़िता के बयान की वीडियोग्राफी कर सी.डी. बनाई थी, जो आर्टिकल 1 है। उसने आरोपी राजकुमार के विरूद्ध अपराध धारा 376 भा.दं.सं. का जुर्म प्रमाणित पाया। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किया है कि यह सही है कि पीडिता ने अभियुक्त राजकुमार के विरूद्ध रिपोर्ट घटना के काफी समय बाद दर्ज करवाई थी। यह सही है कि मुलजिम व परिवादिया दोनों साथ-साथ राजी मर्जी से रह रहे थे। यह बात सही है कि प्रदर्श पी 2 पर दर्शाया गया घटना स्थल आम रास्ता है, जहां पर लोगो की आवाजाही रहती है। प्रदर्श पी 1 में दर्शायें गये घटना स्थल के आस-पास मकान है, जहां लोग निवास करते है। उसने सिर्फ मकान मालिक के बयान लिए, अन्य लोगों के बयान नहीं लिये। यह सही है कि अभियोक्त्री के पति के बयान उसने नहीं लिये।

19. **पी.ड.9 प्रतापलाल पक्षद्रोही घोषित** हुआ है जिसने कथन किया है कि उसने उसकी लड़की अभियोक्त्री की शादी जामुनिया गांव में सोनू भील के साथ की थी। उसके बाद उसका पति उसके साथ मारपीट करता था तो वह उसके पास आकर रहने लग गई थी। उसके बाद उसके पास एक महीने रही थी। उसके बाद उसकी लड़की अभियोक्त्री घर से बिना बताये चली गई थीं, जिस पर उसने

गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। उसके बाद उसकी लड़की उसके पास आई ही नहीं। वह राजकुमार को नहीं जानता है। उसकी लड़की राजकुमार के साथ भागी हो तो उसे पता नहीं है। उसकी लड़की का अभी तक अता पता नहीं है। पुलिस बयान प्रदर्श पी 13 पुलिस को नहीं दिया। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किया है कि पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की। यह कहना सही है कि उसकी लड़की से उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है और उनका उसके घर आना जाना नहीं है।

20. **पी.ड.10 डा. मधु माथुर** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 17.06.2021 को एस.आर.जी. चिकित्सालय झालावाड़ में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी स्त्री एवं प्रसूति विभाग में पदस्थापित थी। उस दिन उसने पुलिस थाना महिला थाना झालावाड़ के प्रतिवेदन पर पीड़िता का बलात्कार के संबंध में चिकित्सकीय परीक्षण महिला पुलिसकर्मी कनीज की उपस्थिति में पीडिता की सहमति से किया था। पीडिता के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। उसके उम्र संबंधी परीक्षण के लिए एम.एल.ओ. को रेफर कर दिया था। पीडिता की अंतिम माहवारी की तारीख 12 जून 2021 थी। पीडिता के जनानांगो के पास कोई चोट के निशान नहीं थे। पीडिता का हाईमन पुराना फटा हुआ था और उसकी वेजाईना नार्मल और स्वस्थ थी। पी.वी. एग्जामिनेशन में टू फिंगर आसानी से जा रही थी और वेजाईना डिस्चार्ज माहवारी का रक्त स्वस्थ था। पीडिता के ब्लड सैंपल, वेजाईनल स्मीयर, वेजाईनल स्वाब, ब्कल स्वाब के नमूने लिए थे। अंतिम राय एफ.एस.एल. रिपोर्ट आने तक सुरक्षित रखी गई है। बाद परीक्षण उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, जो प्रदर्श पी 5 है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किया है कि अभियोक्त्री ने घटना दो साल पुरानी बताई थी।

21. **पी.ड.11 सहदेवसिहं** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत कार्यालय एस.पी. झालावाड़ से इस्तगासा प्राप्त होने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 14 है।

22. **पी.ड.12 विजयसिहं** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि संपूर्ण अनुसंधान से मुलजिम के खिलाफ धारा 376(2)(N) भा.दं.सं. में न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया था।

23. **पी.ड.13 कनीजबाई** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि इस प्रकरण में पीड़िता के 161 सीआरपीसी के बयान प्रदर्श डी 1 पीड़िता के कथनानुसार लेखबद्ध किये थे।

24. इस प्रकरण में अभियोक्त्री के साथ हुई घटना के संबंध में केवल मात्र एक अभियोक्त्री की ही साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है, इसलिए इस प्रकरण में अभियोक्त्री के बयानों का अत्यन्त सावधानीपूर्वक अवलोकन/विवेचन किया जाना अति आवश्यक है।

25. पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन पक्ष की उक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विश्लेषण व विवेचन से यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण का उद्रभव अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रदर्श पी.4 से हुआ है। पत्रावली पर परिवाद के अतिरिक्त ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई है जिससे यह पता चलता हो कि अभियोक्त्री ने परिवाद पेश करने से पूर्व किसी भी स्तर पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की हो। इस प्रकरण में अभियोक्त्री द्वारा परिवाद प्रदर्श पी.4 जिला पुलिस अधीक्षक झालावाड के समक्ष दिनांक 09.06.2021 को घटना के करीब दो वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें अभियोक्त्री ने घटना परिवाद पेश करने के दो साल पहले की बताई है जिसमें भी यह अभिकथन किए हैं कि करीब 3 साल पहले मुलजिम राजकुमार से उसके जेठ बलराम के जरिए सम्पर्क हुआ उसके पश्चात मुलजिम उससे अक्सर बाते करने लगा। करीब 2 वर्ष पूर्व मुलजिम उसके घर धनवास आया और उसको व उसके नाबालिग पुत्र को धोखेबाजी व जालसाजी से बहला-फुसलाकर सावंरिया जी के दर्शन करने की कहकर उसके घर से अपने साथ ले गया मुलजिम उसको सांवरिया जी नहीं ले जाकर जोर-जबर्दस्ती उसको व उसके पुत्र को अहमदाबाद गुजरात ले गया और अहमदाबाद में एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। वह मुलजिम की मंशा समझती उससे पहले ही मुलजिम ने उसको धमकाना शुरू कर दिया और जान से मारने की धमकी देना लगा और जब उसने अपने घर जाने की कहा तो मुलजिम ने उसको जान से मारने की धमकी देकर धमकाया और उसके पश्चात मुलजिम ने उसकी इच्छा के विरूद्ध जोर-जबर्दस्ती उससे यौन शारीरिक संबंध बनाये। उसके साथ लगातार 3 महीने तक शारीरिक यौन शोषण किया। इसी दौरान उसका गर्भ ठहर गया उसे जोर-जबर्दस्ती झालावाड़ समर्पण हॉस्पिटल की नर्स सुल्ताना के घर ले जाकर जोर-जबर्दस्ती उसके गर्भ की सफाई करवा दी। मुलजिम ने जोर-जबर्दस्ती उसके पहने हुये एक तौला सोने के टॉप्स, आधा तोला सोने का मंगलसूत्र, डेढ पाव चांदी की पायजेब, आधा किलो चांदी की सठ, डेढ पांव चांदी के हाथ के व उसके नगद 15,000/- रू छीन लिये। अभियोक्त्री ने अपने न्यायालय में हुए बयान पी.ड.3 में परिवाद में अंकित अभिकथनों से बढ-चढकर उसके विपरीत उससे भिन्न यह कथन किए हैं कि तीन

साल पहले उसके बेटे की तबीयत खराब होने पर वह उसे दिखाने डॉक्टर नागौरी के पास शहर झालावाड़ में दिखाने आयी थी, जहां पर उसे हाजिर अदालत मुलजिम राजकुमार उसके बच्चे को मारने की धमकी देकर सांवरिया दर्शन करने की कहकर सांवरिया जी नही ले जाकर अहमदाबाद लेकर गया। उसनें मना किया कि उसे झालावाड़ पहुंचा दो तो उसने धमकी दी कि वह उसे बेच देगा, उसके बच्चे को मार देगा। वह उसके साथ मारपीट करता था। उसके बाद राजकुमार उसे उसके गांव मुण्डेरी ले आया, जहां ढाई महीने तक राजकुमार ने उसे खेत पर रखा था। वहां पर भी राजकुमार ने उसके साथ मारपीट कर उसकी इच्छा के विरूद्ध शारीरिक संबंध बनाए। प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने यह स्पष्ट कथन किया है कि वह उसके पति के साथ तीन साल से नही रह रही है। यह सही है कि उसके दोनों बच्चे भी उसके साथ नही रहकर उसके पति के साथ रहते है। राजकुमार से उसकी मोबाइल पर बातचीत भी होती थी। उसनें पुलिस को बता दिया था कि राजकुमार ने उसे यह धमकी दी थी कि या तो वह उसके साथ चले नही तो वह उसके बच्चे को मार देगा। लेकिन उक्त बातें पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 में नहीं लिखी हुई है। अहमदाबाद वाली बस में वह नागौरी डॉक्टर के पास वाले चौराहे से बैठे थे। फिर कहा कि वे भानपुरा (एम.पी.) जाकर अहमदाबाद वाली बस में बैठे थे। झालावाड़ से भानपुरा वे रोड़वेज बस से गए थे। बस में पच्चीस-तीस सवारियां व कंडक्टर भी था। उसनें वहां पर कंडक्टर या किसी सवारी से यह नही कहा कि राजकुमार उसे जबरन ले जा रहा है। उसनें भानपुरा बस स्टेण्ड पर भी किसी व्यक्ति से नही कहा कि राजकुमार उसे जबरन ले जा रहा है। उन्होंने भानपुरा बस स्टेण्ड पर आधे-एक घण्टे तक बस का इंतजार किया था। अहमदाबाद वाली बस में भी उसनें किसी सवारी या कंडक्टर से यह नही कहा कि राजकुमार उसे जबरन ले जा रहा है। उसनें अहमदाबाद बस स्टेण्ड पर भी किसी पुलिसकर्मी, किसी व्यक्ति या रोड़वेज के अधिकारियों से नही कहा कि राजकुमार उसे जबरन ले जा रहा है। राजकुमार अहमदाबाद में किसी फैक्ट्री में काम करने जाता था। राजकुमार सुबह नौ बजे फैक्ट्री पर जाने के लिए निकलता था व शाम को वापस आता था। तीन महीने तक घर का सारा काम वह ही करती थी। यह सही है कि उसके पति सोनू के साथ उसके जाने के संबंध में राजकुमार व उसके परिवार वालों ने एक लिखा-पढ़ी करवायी थी। उसनें अदालत परिसर में प्रदर्श डी 3 पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी वकील, नोटेरी पब्लिक या अन्य किसी से यह नही कहा था कि राजकुमार उससे जबरन हस्ताक्षर करवा रहा है। यह सही है कि प्रदर्श डी 3 पर उसकी फोटो है। यह सही है कि प्रदर्श डी.1 में

उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट के संबंध में बयान में नही लिखवाया। यह सही है कि राजकुमार के खिलाफ एक साल बाद रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। अभियोक्त्री ने परिवाद में यह अभिकथन किए हैं कि मुलजिम ने जोर-जबर्दस्ती उसके पहने हुये एक तौला सोने के टॉप्स, आधा तोला सोने का मंगलसूत्र, डेढ पाव चांदी की पायजेब, आधा किलो चांदी की सठ, डेढ पांव चांदी के हाथ के व उसके नगद 15,000/- रू छीन लिये। परंतु न्यायालय में हुए बयान पी.ड. 3 में इस संबंध में पूरी तरह से मौन रही है तथा एक शब्द भी नहीं कहें है। इस प्रकरण में अभियुक्त से उक्त जेवरात व नगद रूपयों की कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। अभियोक्त्री ने न्यायालय में हुए बयान में यह कथन किए हैं कि तीन साल पहले उसके बेटे की तबीयत खराब होने पर वह उसे दिखाने डॉक्टर नागौरी के पास शहर झालावाड़ में दिखाने आयी थी, जहां पर उसे हाजिर अदालत मुलजिम राजकुमार उसके बच्चे को मारने की धमकी देकर सांवरिया दर्शन करने की कहकर सांवरिया जी नही ले जाकर अहमदाबाद लेकर गया। उसनें मना किया कि उसे झालावाड़ पहुंचा दो तो उसने धमकी दी कि वह उसे बेच देगा, उसके बच्चे को मार देगा। वह उसके साथ मारपीट करता था। उसके बाद राजकुमार उसे उसके गांव मुण्डेरी ले आया, जहां ढाई महीने तक राजकुमार ने उसे खेत पर रखा था। वहां पर भी राजकुमार ने उसके साथ मारपीट कर उसकी इच्छा के विरूद्ध शारीरिक संबंध बनाए। परंतु अभियोक्त्री ने परिवाद में इस संबंध में कोई कथन नहीं है, जिससे परिवाद में अंकित तथ्य व अभियोक्त्री की साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास प्रकट होता है। अभियोक्त्री की ओर से परिवाद घटना के लगभग दो साल बाद प्रस्तुत किया गया है जिस देरी का कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण अभियोक्त्री की ओर से नहीं दिया गया है। अभियोक्त्री ने परिवाद में यह कथन किए है कि इसी दौरान उसका गर्भ ठहर गया तो मुलजिम उसे अपने घर मुण्डेरी ले आया और मुलजिम व कवंरलाल, कन्याबाई व धन्नीबाई ने झालावाड़ समर्पण हॉस्पिटल की नर्स सुल्ताना के घर ले जाकर जोर-जबर्दस्ती उसके गर्भ की सफाई करवा दी। अभियोक्त्री ने इससे भिन्न अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि अभियुक्त उसे रात के आठ बजे सुल्ताना मेडम के पास झालरापाटन ले गया वहां उसका गर्भपात करवा दिया। अभियोक्त्री ने इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं की है कि अभियुक्त ने उसका गर्भपात करवाया हो । अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त कथित सुल्ताना नर्स को भी साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है जो कि इस प्रकरण में एक महत्वपूर्ण गवाह हो सकती थी।

26. इस प्रकरण में पी.ड.1 दुलीचंद नक्शामौका का गवाह हैं। जिसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किए है कि अभियोक्त्री जब महिला थाने में आई थी तब उसने उसको पहली बार देखा था। यह कहना सही है कि महिला थाने में मिलने के पूर्व से वह अभियोक्त्री को नहीं जानता था। पी.ड.2 राजेश कुमार ने यह कथन किया है कि उसनें अभियोक्त्री को दिसंबर 2021 में मकान के आगे वाले भाग का एक कमरा 1000/- रूपए मासिक किराये पर दिया था। अभियोक्त्री के पास हाजिर अदालत मुलजिम राजकुमार आता-जाता रहता था। उसनें राजकुमार को एक बार टोका भी था, तब राजकुमार ने उसे बताया था कि अभियोक्त्री उसकी पत्नी है। अभियोक्त्री से उसनें बाद में पूछा तब अभियोक्त्री ने बताया कि उसके राजकुमार के साथ पहले संबंध थे। प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने यह कथन किया है कि उसने अभियोक्त्री से उसके पति व बच्चों के बारें में पूछा था तब उसने बताया था कि उसका उसके पति के साथ बिगाड़ हो गया है और वह यहां अकेले ही रहने आयी है। पी.ड.4 पप्पूलाल नक्शामौका का गवाह है। पी.ड.5 केसरसिहं पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने कथन किया है कि राजकुमार उनके गांव में किसी औरत को लाया हो तो उसे पता नहीं। उसने राजकुमार के साथ किसी औरत को गांव में नहीं देखा। पी.ड.6 देवीलाल ने कथन किया है कि उसे यह पता नहीं कि लड़की कितने समय तक राजकुमार के साथ गांव मे रही थी। प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने यह कथन किया है कि लड़की को जब मिनी सचिवालय छोडा तब वह राजी खुशी दिख रही थी। पी.ड.7 डा.योगेश कुमार ने कथन किया है कि उसके चिकित्सकीय परीक्षण से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी कि राजकुमार मेरोठा उर्फ राजू उस समय यौन संभोग करने में अक्षम हो। पी.ड.8 पुष्पेन्द्र बंशीवाल इस प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है जिसने अनुसंधान संबंधी कथन किए है तथा प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट कथन किये है कि पीडिता ने अभियुक्त राजकुमार के विरूद्ध रिपोर्ट घटना के काफी समय बाद दर्ज करवाई थी। यह सही है कि मुलजिम व परिवादिया दोनों साथ-साथ राजी मर्जी से रह रहे थे। यह बात सही है कि अभियोक्त्री जब मुकदमा दर्ज हुआ तब झालरापाटन में राजेश कुमार वर्मा कानि. के मकान में रह रही थी। यह सही है कि राजेश कुमार के मकान में रहने के दौरान ही अभियोक्त्री ने राजकुमार के खिलाफ प्रदर्श पी 4 पेश किया था। यह सही है कि अभियोक्त्री के पति के बयान उसने नहीं लिये। पी.ड.9 प्रतापलाल पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने कथन किया है कि उसने उसकी लड़की अभियोक्त्री की शादी जामुनिया गांव में सोनू भील के साथ की थी। उसके बाद उसका पति उसके साथ मारपीट करता था तो वह उसके पास आकर रहने लग

गई थी। उसके बाद उसके पास एक महीने रही थी। उसके बाद उसकी लड़की अभियोक्त्री घर से बिना बताये चली गई थी। उसके बाद उसकी लड़की उसके पास आई ही नहीं। वह राजकुमार को नहीं जानता है। उसकी लड़की राजकुमार के साथ भागी हो तो उसे पता नहीं है। पी.ड.10 डा. मधु माथुर ने कथन किया है कि उसने पीड़िता का बलात्कार के संबंध में चिकित्सकीय परीक्षण किया था। पीडिता के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। पीडिता के जनानांगो के पास कोई चोट के निशान नहीं थे। पीडिता का हाईमन पुराना फटा हुआ था और उसकी वेजाईना नार्मल और स्वस्थ थी। पी.ड.11 सहदेवसिहं ने अभियोक्त्री के परिवाद के आधार पर प्रकरण दर्ज करना कथन किए है। पी.ड.12 विजयसिहं ने इस प्रकरण में आरोप पत्र पेश करना कथन किए है। पी.ड.13 कनीजबाई ने इस प्रकरण में पीड़िता के 161 सीआरपीसी के बयान लेखबद्ध करना कथन किए है। परंतु इस प्रकरण में आई उपरोक्त समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन, विवेचन, विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

27. अभियोक्त्री ने न्यायालय में साक्ष्य के दौरान अपनी उम्र 26 वर्ष होना बताया है। पत्रावली के साथ संलग्न अभियोक्त्री के आधार कार्ड के अनुसार उसकी जन्मतिथि 01.01.1991 बताई गई है जिससे यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि अभियोक्त्री वक्त घटना पूरी तरह से बालिग थी। अभियोक्त्री ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किए हैं कि उसके पति सोनू के साथ उसके जाने के संबंध में राजकुमार व उसके परिवार वालों ने एक लिखा-पढ़ी करवायी थी। इकरारनामा प्रदर्श डी 2 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, जो अदालत परिसर झालावाड़ में तैयार करवाया था। इकरारनामा प्रदर्श डी 3 पर पांच स्थानों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसनें अदालत परिसर में प्रदर्श डी 3 पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी वकील, नोटेरी पब्लिक या अन्य किसी से यह नही कहा था कि राजकुमार उससे जबरन हस्ताक्षर करवा रहा है। यह सही है कि प्रदर्श डी 3 पर उसकी फोटो है।

28. **यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श डी 2 में यह वर्णित है कि** "मैं लाडबाई पुत्री प्रताप पत्नी सोनू जाति भील आयु 26 साल निवासी गोपालपुरा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राज. की हूँ। जो कि मेरा मेरे पति सोनू से घरेलू विवाद होने के कारण मैं नाराज होकर मेरा घर छोडकर चली गई थी। इस दौरान मैं अपने पीहर धनवास और बाद में ग्राम मुण्डेरी में राजकुमार पुत्र कवंरलाल जाति धोबी के मकान में रहने लगी। आपसी समझाईश से मेरा मेरे पति सोनू से विवाद

समाप्त हो गया है। अब उसने मुझे अच्छी तरह से रखने का वायदा किया है। मैं भी मेरे पति के साथ रहने को सहमत हूँ। इसलिये मैं अपने पति के साथ अदालत परिसर झालावाड से यह तहरीर निष्पादित करने के बाद जा रही हूँ। मेरे मन में राजकुमार पुत्र कवंरलाल के प्रति और उसके परिवार के खिलाफ भविष्य में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करूंगी। मैं मेरी पूर्ण सहमति से ही अपनी पति के साथ जा रही हूँ। पास जो रकम, जेवरात है वह मैनें मेरे पति को दिखा दिये है और उनको साथ लेकर जा रही हूँ। और उसके परिवार से कोई शिकायत नहीं है। मैं यदि भविष्य में राजकुमार एवं उसके परिवार के खिलाफ कोई शिकायत करू तो राज कार्यवाही और अदालत में झूठी मानी जाउंगी और हर्ज खर्चे का जिम्मेदार रहूंगी।''

29. **इसी प्रकार प्रदर्श डी 3 में यह वर्णित है कि** "मैं लाडबाई पुत्री प्रताप पत्नी सोनू भील जाति भील उम्र 25 साल निवासी गोपालपुरा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राज0 की हूँ। जो कि मेरा विवाह सोनू पुत्र श्री कालू भील निवासी गोपालपुरा से हुआ है। इसके नुत्फे से मैनें दो संतान एक पुत्री भीगी आयु 7 साल एक पुत्र अकुंश आयु 5 साल को जन्म दिया है। मेरा पीहर ग्राम धनवास तहसील झालरापाटन में हैं। शादी के बाद से मेरा वैवाहिक जीवन दुखी रहा है, क्योकि मेरा पति सोनू रोजना शराब का नशा करता है और मेरे साथ बच्चों के साथ मारपीट करता आया है। मेरे खाने पीने कपड़ो की कोई व्यवस्था नही करता है। मेरे सोने चांदी के जेवर भी उसने बैचान कर दिये है। मजदूरी के रूपयों को वह शराब में खत्म कर देता है। मैं ऐतराज करती हूँ तो मेरे साथ बुरी तरह मारपीट करता है। इस कारण मैंने दो बार महिला पुलिस थाना झालावाड़ में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है और एक बार तो सिर पर चोट लगने से खून से भरे कपड़ो को लेकर पुलिस को रिपोर्ट मेरे पिहर वालो के साथ दर्ज कराई है। महिला थाने में केवल एक बार मेरे पति ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने का वायदा किया किन्तु दूसरे दिन ही मेरे साथ रात्रि में मारपीट की। परेशान होकर मैं मेरे पीहर धनवास रहने लगी। इस साल आखातीज के बाद मई महीने में मेरे माता-पिता-भाई मुझे रूपयें पैसे लेकर अन्य जगह नाते भेजने की तैयारी करने लगे। इस पर मैने विरोध किया कि पहले में पूरी तरह सौच विचार कर लूं। मेरी पहचान राजकुमार पुत्र श्री कवंर लाल जाति धोबी निवासी ग्राम मुन्डेरी से है। राजकुमार मेरे साथ महिला पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने भी गया है। उसने मेरे पति सोनू को भी काफी समझाया है किन्तु मेरा पति शराबी होने से अपनी आदतो मे सुधार नहीं लाया। मई 2019 को मेरे पुत्र को बुखार होने पर मैं बच्चों के डॉ नागोरी को दिखाने झालावाड़

आई थी। मेरे माता पिता जबरन मुझे दूसरी जगह नाते भेजने की तैयारी कर चुके थे। इसलिए मैंने मोबाईल से राजकुमार को बुलाया उसको अपना सारा दुख बताया और मुझे अपने साथ रखने की जिद्द की तो राजकुमार मेरी हालत पर विचार कर खुद के घर ग्राम मुन्डेरी में चलने का प्रस्ताव रखा जिसे मैंने स्वीकार कर राजकुमार के घर मेरी इच्छा से आ गयी हूँ। राजकुमार ने रहने के लिए एक कमरा भी दे दिया है। राजकुमार के घर में उसके माता-पिता राजकुमार की पत्नी-बच्चे राजकुमार का छोटा भाई व पत्नी सभी के साथ में निवास कर रही हूँ। मेरे पति व मेरे पीहर वालो को भी इसकी सूचना मैंने दे दी है। राजकुमार के घर में मैं व मेरा पुत्र अंकुश रहते है मेरी पुत्री पीहर में थी जिसे कुछ दिनो पहले मेरा पति सोनू ले गया है। राजकुमार मेरे व मेरे बच्चे के भरण पोषण की पूरी व्यवस्था कर रहा है। राजकुमार को मैं एक अच्छा नजदीकी दोस्त मानती हूँ। हमारे सम्बन्ध पति-पत्नी की तरह स्थापित हो गये है। मुझे राजकुमार से बहुत प्यार मोहब्बत है। मैने उससे शारीरिक संबंध भी बनाये है। शारीरिक सम्बन्ध बनाने में मेरी पूर्ण सहमति रही है। मैं राजकुमार के साथ ही भावी जीवन व्यतीत करने की सोच रही हूँ। मेरे पति को इसमें झगड़ा राशि राजकुमार से लेने का कोई हक नहीं होगा। मेरे पीहर वालो को भी इसमे कोई ऐतराज करने का हक नहीं होगा। मैं मेरे घर पीहर से केवल पहने हुए कपड़ो में आई थी कोई रूपया जेवर लेकर नहीं आई थी।''

30. इस प्रकार परिवादिया/अभियोक्त्री के कथनों से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अभियोक्त्री तथा अभियुक्त दोनों के मध्य परस्पर प्रगाढ प्रेम-संबंध था परंतु अभियोक्त्री का उसके पति से आपसी समझाईश होने व उसके पति से विवाद समाप्त हो जाने, उसके पति द्वारा अभियोक्त्री को अच्छी तरह से रखने का वायदा करने, अभियोक्त्री का उसके पति के साथ रहने को सहमत होने के कारण अभियोक्त्री द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध यह प्रकरण दर्ज कराया गया हो। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से यह प्रकट नहीं होता है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध व सहमति के बिना लैंगिक संभोग कर बलात्संग कारित किया हो। अभियोक्त्री की साक्ष्य से ही स्पष्ट है कि वह वक्त घटना बालिग रही है। अभियोक्त्री ने यह स्वीकार किया है कि वह उसके पति के साथ तीन साल से नही रह रही है। राजकुमार से उसकी मोबाइल पर बातचीत भी होती थी। अहमदाबाद वाली बस में वह नागौरी डॉक्टर के पास वाले चौराहे से बैठे थे। झालावाड़ से भानपुरा वे रोड़वेज बस से गए थे। बस में पच्चीस-तीस सवारियां व कंडक्टर भी था। उसनें वहां पर कंडक्टर या किसी सवारी से यह नही कहा कि

राजकुमार उसे जबरन ले जा रहा है। उसनें भानपुरा बस स्टेण्ड पर भी किसी व्यक्ति से नही कहा कि राजकुमार उसे जबरन ले जा रहा है। अहमदाबाद वाली बस में भी उसनें किसी सवारी या कंडक्टर से यह नही कहा कि राजकुमार उसे जबरन ले जा रहा है। उसनें अहमदाबाद बस स्टेण्ड पर भी किसी पुलिसकर्मी, किसी व्यक्ति या रोड़वेज के अधिकारियों से नही कहा कि राजकुमार उसे जबरन ले जा रहा है। राजकुमार अहमदाबाद में किसी फैक्ट्री में काम करने जाता था। राजकुमार सुबह नौ बजे फैक्ट्री पर जाने के लिए निकलता था व शाम को वापस आता था। तीन महीने तक घर का सारा काम वह ही करती थी। जिससे यह पूरी तरह से प्रकट होता है कि अभियोक्त्री के पास पर्याप्त समय था कि वह किसी को भी बता सकती थी कि अभियुक्त उसे जबरन लेकर आया है तथा उसके साथ जबरन लैंगिक संभोग कर रहा है। अभियोक्त्री भीडभाड वाली जगह पर भी गई है तथा वहां अन्य बहुत सारे व्यक्ति भी उसे मिले तथा जब अभियुक्त काम पर जाता था तब अभियोक्त्री अकेली ही रहती थी उसके बावजूद भी उसने वहां से भागने की अथवा किसी अन्य व्यक्ति को कुछ भी बताने का प्रयास तक नहीं किया है। किसी से यह शिकायत नहीं की कि अभियुक्त ने उसके साथ जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाये। उक्त सभी से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि इस पूरे प्रकरण में अभियोक्त्री बालिग होकर सहमत पक्षकार रही है। इस प्रकरण में परीक्षित चिकित्सीय साक्षी पी.ड.10 डा. मधु माथुर ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि दौराने परीक्षण उसने पाया कि पीडिता के जनानांगो के पास कोई चोट के निशान नहीं थे। पीडिता का हाईमन पुराना फटा हुआ था और उसकी वेजाईना नार्मल और स्वस्थ थी।

31. उपरोक्त समस्त विवेचन से न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन साक्षीगण की अभिसाक्ष्यों में ठोस, तात्विक एवं महत्वपूर्ण विरोधाभास विद्यमान है। घटना की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी स्थापित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथानक सन्देहास्पद बन जाता है। इस प्रकार चिकित्सीय साक्ष्य से भी अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं होती है तथा अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उदय बनाम कर्नाटक राज्य(2003)04 एस.सी.सी.46 में यह प्रतिपादित किया है कि दीर्घकालीन प्रेम-प्रसंग बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धूर्वाराम सोनार बनाम महाराष्ट्र राज्य(2019)18 एस.सी.सी.191 में यह प्रतिपादित किया है कि लंबे समय तक सहमति आधारित संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आते हैं।

2014 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर(1)(राज.)पेज 17 अमरलाल बनाम राज.राज्य वाले मामले में अभियौक्त्री के शरीर पर कोई चोट नहीं थी तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने अपने कथनों को परिवर्तित किया साथ ही अभियौक्त्री के प्राईवेट अंगों पर कोई चोट नहीं पायी गयी, ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय का मत रहा कि अभियुक्त को मिथ्या संलिप्त करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

ए.आई.आर. 1973(एस.सी.)पेज 501 थूलिया काली बनाम तमिलनाडु राज्य वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का मत रहा है कि दाण्डिक मामलों में प्राथमिकी विचारण में प्रस्तुत किये गये मौखिक साक्ष्य को सम्पुष्ट करने के लिए एक बहुत ही महतवपूर्ण व मूल्यवान साक्ष्य है तथा यदि प्राथमिकी दर्ज कराने में काफी विलम्ब हो जाता है और ऐसे विलम्ब को स्पष्ट नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्राथमिकी का सम्पुष्टकारी मूल्य कम हो जाने के कारण इस आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है। माननीय न्यायालय का यह मत रहा है कि किसी भी अपराध की अविलम्ब सूचना देने का उद्देश्य घटना की उन परिस्थितियों के बाबत् जिनमें अपराध किया गया, अभियुक्त के नाम और उनके द्वारा किया गया कार्य तथा घटनास्थल पर उपस्थित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के नाम शीघ्रतम अवसर पर प्राप्त करना होता है, अक्सर रिपोर्ट लिखाने में विलम्ब के परिणास्वरूप अनेक बाहर की बातें सम्मिलित हो जाती है जो बाद में विचारी हुई होती है, इसके अतिरिक्त विचार-विमर्श और परामर्श के परिणामस्वरूप मिथ्या कथनों और गढ़े गये वृतान्तों का समावेश भी हो जाता है।

2014(1)आर.ए.एफ.(राज.)पेज 54 लक्ष्मीनारायण बनाम राज0 राज्य धारा 376 भा.दं.सं. के अपराध से संबंधित था जिसमें अभियौक्त्री विवाहिता महिला होकर सम्भोग की आदि रही तथा प्राथमिकी दर्ज कराने में 24 घण्टे की देरी हुई थी। साथ ही घटना जुलाई माह में शाम के करीब 5 बजे सार्वजनिक रास्ते में होना बताया गया था जिसकी पुष्टि अन्य साक्ष्य से नहीं होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन मामला झूंठा होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है ।

2009(4)आर.एल.डब्ल्यू.3413(राज.) किशन बनाम राज.राज्य इस मामले में 06 दिन विलम्ब से परिवाद दायर हुआ तथा बलात्संग का एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी

पक्षद्रोही घोषित हुआ जिसने अभियौक्त्री के चरित्र पर टीका-टिप्पणी की। प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज कराये जाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया।

2008(4)आर.एल.डब्ल्यू.3075(राज.) दिलीपसिहं बनाम राज.राज्य इस मामले में एफ.आई.आर.4 दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी जिसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तथा अभियौक्त्री के अस्वाभाविक आचरण को देखते हुए उसके कथन विश्वसनीय नहीं पाये गये एवं चिकित्सीय साक्ष्य से भी इसकी पुष्टि नहीं हुई। ऐसी स्थिति में सन्देह का लाभ देते हुए अभियुक्त को बलात्संग के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

2007 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी.)पेज 670 राधू बनाम मध्यप्रदेश राज्य वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का मत रहा है कि न्यायालय को मस्तिष्क में यह भी रखना चाहिए कि बलात्संग का झूंठा मामला दर्ज करवाना असामान्य नहीं है।

2009 (2) क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (राज.) पेज 1108 प्रभूलाल बनाम राज.राज्य में प्राथमिकी 03 दिन विलंब से दर्ज हुई लेकिन देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया जबकि अभियौक्त्री की आयु 20 वर्ष के करीब थी तथा उसके द्वारा न्यायालय में किये गये कथन व पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री अनुसार वह सहमत पक्षकार थी। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को दोषमुक्ति का हकदार माना गया है।

2009 (2) क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (राज.) पेज 1331 सूताराम उर्फ रामजीलाल बनाम राज. राज्य में प्राथमिकी 3 दिन विलंब से दर्ज हुई है तथा अभियौक्त्री के कथन की चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्टि नहीं थी, न ही अभियौक्त्री के गुप्तांग पर कोई चोट थी। ऐसी स्थिति में अभियौक्त्री की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं मानते हुए दोषसिद्धि अपास्त की गयी।

2008 (3) आर0एल0डब्ल्यू (राज.) पेज 1881 मोहनलाल बनाम राज. राज्य इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने में 18 दिवसों का विलंब हुआ। अभियौक्त्री के कथनों की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से नहीं हुई तथा न ही अभियौक्त्री के निजी अंगों पर क्षति पायी गयी। माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि एक मात्र अभियौक्त्री के कथनों पर आधारित की जा सकती है लेकिन विचारण न्यायालय को अभियौक्त्री के कथनों की सत्यता के बारे में सन्तुष्ट होना आवश्यक है। इस मामले में तथ्यों को देखते हुए झूंठा फंसाने की सम्भावना मानते हुए अपील स्वीकार कर अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया।

2008 (3) आर.एल.डब्ल्यू (राज.) पेज 2620 सांवलिया बनाम राज. राज्य यह मामला भी धारा 376 भा.द.स. के अपराध से संबंधित रहा है जिसमें प्राथमिकी 3 दिन विलंब से दर्ज हुई है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। चिकित्सीय

साक्ष्य से अभियौक्त्री के कथनों की पुष्टि नहीं हुई। ऐसी स्थिति में मामला संदेह से परे साबित नहीं माना गया।

<u>2012 (2) डब्ल्यू.एल.सी. (एस.सी.) क्रिमिनल पेज 208 नरेन्द्रकुमार बनाम राज्य</u> इस मामले में भी बलात्संग के बारे में चिकित्सीय रिपोर्ट से पुष्टि नहीं हुई। ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्ष्य को देखते हुए दोषसिद्धि अपास्त की गयी।

<u>2013 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी.) पेज 607 दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य</u> इस मामले में 19 वर्षीय अभियौक्त्री एवं अभियुक्त पूर्व परिचित रहे जो अक्सर मिलते थे। इस घटना के बाद भी अभियौक्त्री, अभियुक्त के साथ दुबारा भी गयी तथा शारीरिक संबंध बनाये। माननीय न्यायालय ने समस्त तथ्यों एवं साक्ष्य को देखते हुए अभियौक्त्री को सहमत पक्षकार मानते हुए दोषसिद्धि अपास्त की।

<u>2014(1)क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (राज.) पेज 272 राज.राज्य बनाम शिवलाल</u> इस मामले में अभियौक्त्री के शरीर पर कोई चोट नहीं पायी गयी। वह व्यस्क होकर मैथून की अभ्यस्थ थी तथा अभियौक्त्री ने अभियुक्त के साथ प्रेम संबंध स्वीकार किए थे। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय में दोषमुक्ति उचित बतायी।

32. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के विवेचन से यह प्रकट होता है कि इस प्रकरण में घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं रहा है तथा सम्पूर्ण अभियोजन केवल एक मात्र अभियोक्त्री की साक्ष्य पर आधारित है जिसकी साक्ष्य पूरी तरह से विश्वास के योग्य नहीं है जिसकी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। इस प्रकरण में घटना की रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी है जिसका भी कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया गया है। इस प्रकरण में प्रस्तुत समस्त अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य विरोधाभासी व अस्पष्ट प्रकृति की रही है। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री एवं स्वंय अभियौक्त्री के आचरण को देखते हुए यही प्रतीत होता है कि अभियौक्त्री इस प्रकरण में बालिग थी तथा उसके एवं अभियुक्त के मध्य प्रगाढ संबंध होकर उनकी मुलाकात होती थी। इसी दौरान अभियौक्त्री की सहमति से दोनों के मध्य आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बन गये परंतु अभियोक्त्री का उसके पति से राजीनामा हो जाने व उसका अपने पति के साथ चले जाने के बाद अभियौक्त्री द्वारा हस्तगत परिवाद प्रस्तुत कर यह प्रकरण दर्ज कराया गया है। दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना चाहिए तथा जहां अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर दो भिन्न-भिन्न निष्कर्ष सम्भव हो वहां बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत कहानी पर विश्वास करते हुए अभियुक्त को निश्चय ही युक्तियुक्त सन्देह का लाभ दिया जाना चाहिए।

आपराधिक विचारण में साक्ष्य के कठोर निर्वचन का सिद्वान्त लागू होता है, जिसमें अभियोजन पक्ष को उसका मामला अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में सभी युक्तियुक्त सन्देहों से परे प्रमाणित किया जाना आवश्यक होता है। हस्तगत प्रकरण में भी अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण एवं विवेचन से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्व यह संदेह से परे प्रमाणित कर पाने में पूरी तरह से असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 09.06.2021 से पूर्व किसी समय परिवादिया पीड़िता को बहला फुसला कर सांवरिया जी ले जाने के बहाने अपने साथ अहमदाबाद ले जाकर जबरन उसके साथ लगातार अनैक बार शारीरिक सम्बंध बनाकर व उसका देह शोषण कर बलात्कार किया। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को आरोपित अपराधों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

33. परिणामतः अभियुक्त **राज कुमार मेरोठा उर्फ राजू** पुत्र कवंरलाल, उम्र 37 साल, निवासी मुण्डेरी, पुलिस थाना मण्डावर, जिला झालावाड (राज.) को **धारा 376(2)(N) भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्त के जमानत मुचलके बाबत हाजिरी निरस्त किए जाते हैं।

34. प्रकरण में संबंधित पुलिस स्टेशन/कार्यालय के मालखाने में पडी जप्तशुदा सामग्री (जो भी हो) का निस्तारण सामान्य नियम(सिविल/आपराधिक)2018 के अनुसार/ नियमानुसार अपील अवधि समाप्त होने के बाद या अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के अधीन किया जाएगा।

35. अभियुक्त दं.प्र.सं. की धारा 437ए के प्रावधानों की अनुपालना में 50हजार रुपये के जमानत की एक जमानत व इसी कदर राशि का स्वंय का मुचलका पेश करेगा, जो कि आगामी छः माह तक प्रभावी रहेंगे। इनके माध्यम से अभियुक्त को पाबंद किया जाता है कि इस निर्णय के विरुद्ध की गई अपील में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर स्वयं को अविलम्ब प्रस्तुत करेगा।

36. इस प्रकरण के समस्त तथ्य व परिस्थितियों पर विचार करते हुए इस प्रकरण में अभियोक्त्री किसी प्रकार की प्रतिकर राशि पीडित प्रतिकर योजना के तहत प्राप्त करने की अधिकारी नहीं पायी जाती है तथा जिला स्तर पर गठित कमेटी को इस बारे में कोई अनुसंशा नहीं की जाती है।

(आलोक सुरोलिया)
सेशन न्यायाधीश
झालावाड़।

37. निर्णय आज दिनांक **11.03.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(आलोक सुरोलिया)
सेशन न्यायाधीश
झालावाड़।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय में किये गये सभी संशोधनो को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

ABDUL MAJID

Steno Gr. I
"Authenticate document"
Digitally signed by ABDUL MAJID
Date: 2026.03.11 14:26:46 +0530

नोटः यह प्रतिलिप प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।